न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 90 / 2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. रिड़मल भारती पुत्र रेंवत भारती जाति गोस्वामी निवासी हेमपुरी जी की ढाणी, स्वामी जी की ढाणी, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर (मैसर्स श्री कृष्णा बेकरी, भवानी गिरी मठ के पीछे, राय कॉलोनी, बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स श्री कृष्णा बेकरी, भवानी गिरी मठ के पीछे, राय कॉलोनी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **08.07.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मैंदा (लूज)** एक कट्टे में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल दो किलो के **मैंदा (लूज)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2904** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मैंदा (लूज)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **मैंदा (लूज)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जूर्म स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में नरम दृष्टिकोण रखने वास्ते निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.07.2025** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **अवमानक** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जूर्म स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में नरम दृष्टिकोण रखने वास्ते निवेदन किया है, किन्तु खाद्य पदार्थ के लिया गये नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 15,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर